मानसून

आनंद में भी सावधानी

हिंदी
विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 05 - 11 July 2026

राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

पंजीयन करें

सेवा विवेक ग्रंथ

मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य

भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।

सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।

सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।

सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।

इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

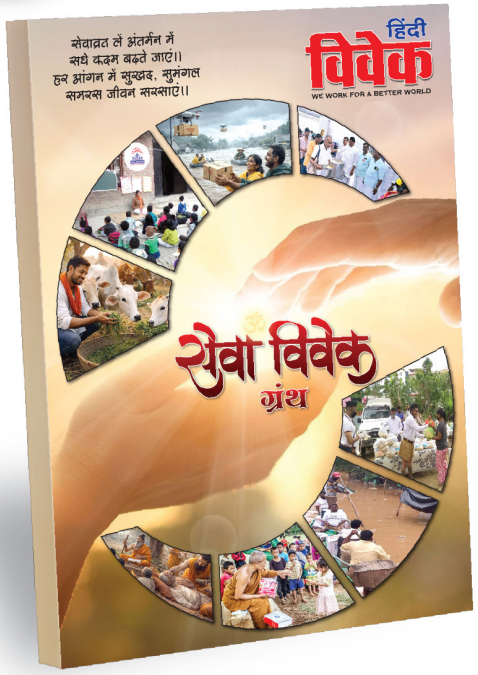

प्रकाशन पूर्व मूल्य
600/-

ग्रंथ का मूल्य
₹ 700/-

देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

अनुक्रमणिका

◆ पहली बरसात में ही सड़कें बेहाल	अलकेश चतुर्वेदी	04
◆ मेरा मन बसता मेरे गांव में	विनीत उत्पल	06
◆ प्रकृति का आनंद सावधानी के संग	सुभाष चंद्र	09
◆ प्रकृति के संकेतों को समझें	डॉ. दीपक कोहली	11
◆ हत्याओं के पीछे छिपी मानसिकता	आशुतोष कुमार सिंह	13
◆ धरती की दरारों से उठी त्रासदी	डॉ. शुभ्रता मिश्रा	16
◆ ये हैं भूकम्प के जोखिम क्षेत्र	डॉ. मनीष मोहन गोरे	18
◆ आपातकाल का स्वागत योग्य समावेश	आशीष कुमार'अंशु'	20
◆ निहंग परम्परा का बदलता चेहरा	योगेश कुमार गोयल	23
◆ असली माफीवीर राहुल गांधी	विप्लव विकास	25
◆ 5 आधारों पर मिलती हैं भारतीय नागरिकता	संकलन	27
◆ इधर भी देखें	संकलन	28
◆ समाचार	–	29

पंजीयन शुल्क

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर–10, सेक्टर–2,
श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप,
कांदिवली (पश्चिम), मुंबई– 400067. सम्पर्क : 9594991884

मानसून

अलकेश चतुर्वेदी

मानसून में सड़कों का हाल बेहाल होना केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक कमियों का परिणाम है। पहली बरसात में ही सड़कों पर जगह-जगह जलजमाव हो जाता है और सम्बंधित विभाग की पोल भी खुल जाती है।

पहली बरसात में ही सड़कें बेहाल

मानसून भारत के लिए केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है बल्कि यह हमारी शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना की वास्तविक परीक्षा भी है। विडम्बना यह है कि जिस पहली वर्षा का स्वागत प्रकृति के उत्सव के रूप में होना चाहिए, वही पहली बारिश अधिकांश नगरों और महानगरों में जल-जमाव, यातायात अवरोध, दुर्घटनाओं, गड्ढों, संक्रामक रोगों और प्रशासनिक अव्यवस्था का कारण बन जाती है। प्रत्येक वर्ष नगर निकाय यह दावा करते हैं कि नालों की सफाई, जल निकासी तथा वर्षा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था कर ली गई है, किंतु पहली ही तेज वर्षा इन दावों की वास्तविकता सामने ला देती है।

प्रश्न यह है कि जब समस्या प्रत्येक वर्ष सामने आती है, पर्याप्त बजट भी उपलब्ध होता है और तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है, तब भी समाधान स्थाई क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर केवल प्रशासनिक विफलता में नहीं बल्कि प्रशासन, तकनीकी नियोजन, स्थानीय कार्य-संस्कृति, नागरिक व्यवहार तथा राजनीतिक दृष्टिकोण- इन सभी के सम्मिलित विश्लेषण में निहित है।

भ्रष्टाचार का आरोप प्रायः शीर्ष नेतृत्व पर लगा दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश विकास कार्यों की गुणवत्ता स्थानीय स्तर पर तय होती है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, नालियों की सफाई, सड़क निर्माण का निरीक्षण, जल निकासी के आउटलेट, गड्ढों की मरम्मत और दैनिक निगरानी का उत्तरदायित्व स्थानीय अभियंताओं, कर्मचारियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का होता है। यदि स्थानीय स्तर

पर निष्ठा, उत्तरदायित्व और तकनीकी अनुशासन सुनिश्चित हो जाए तो अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। इसलिए उत्तरदायित्व का निर्धारण केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहकर कार्यान्वयन स्तर तक होना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक कर्तव्यबोध का है। किसी भी नगर को केवल सरकार स्वच्छ नहीं रख सकती। आज अधिकांश नगरों में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था उपलब्ध है, फिर भी अनेक नागरिक घरेलू कचरा, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य अपशिष्ट सीधे नालियों में डाल देते हैं। परिणामस्वरूप जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और थोड़ी-सी वर्षा में भी सड़कें तालाब बन जाती हैं। बाद में यही नागरिक प्रशासन को दोष देते हैं। वस्तुतः स्वच्छ नगर का आधार केवल सरकारी व्यवस्था नहीं बल्कि सशक्त नागरिक चेतना भी है। नागरिक कर्तव्यबोध और सिविक सेंस के बिना कोई भी शहर स्थाई रूप से स्वच्छ और जल-जमाव मुक्त नहीं बन सकता।

समस्या का तीसरा कारण क्षेत्रवाद आधारित विकास है। अनेक बार प्रभावशाली नागरिक, जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अधिकाधिक विकास कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। परिणामस्वरूप नगर का विकास समग्र दृष्टि से न होकर खंडित रूप में होता है। कहीं सड़क ऊंची बन जाती है, कहीं नाली अधूरी रह जाती है, कहीं जल निकासी का मार्ग बंद हो जाता है और कहीं सड़क तो बन जाती है, लेकिन उसका वैज्ञानिक ढाल (स्लोप)नहीं रखा जाता। शहर एक समग्र इकाई है, उसका विकास भी समग्र दृष्टिकोण से होना चाहिए। यदि पूरी जल निकासी प्रणाली को एकीकृत रूप से नहीं देखा जाएगा तो किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र में जलभराव का कारण बन जाएगा।इसी प्रकार अविवेकपूर्ण निर्माण भी एक गम्भीर समस्या बन चुका है। कई स्थानों पर सड़क निर्माण के समय वैज्ञानिक मानकों का पालन नहीं किया जाता। सड़कें आवश्यकता से अधिक ऊंची बना दी जाती हैं, जबकि आसपास की नालियों का स्तर वही रहता है। कहीं स्थानीय मांग पर मनमाने स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, तो कहीं बिना समुचित जल निकासी मार्ग छोड़े रोड डिवाइडर निर्मित कर दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप वर्षा का पानी सड़क के एक ओर जमा होकर लम्बे समय तक जमा रहता है। यदि निर्माण से पूर्व अभियंताओं की संयुक्त टीम स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन करे तथा समग्र जल प्रवाह का नक्शा तैयार किया जाए, तो ऐसी समस्याओं से बहुत सीमा तक बचा जा सकता है।

एक अन्य उपेक्षित पक्ष सड़कों के किनारे की शोल्डर व्यवस्था है। अनेक व्यापारी और मकान मालिक अपने प्रतिष्ठान अथवा घर के सामने सड़क और भवन के बीच उपलब्ध प्राकृतिक मिट्टी को हटाकर पूरी जगह पर टाइल्स, सीमेंट या कंक्रीट बिछा देते हैं। इससे वर्षा का जल भूमि में अवशोषित होने के बजाए सीधे सड़क पर बहता है। प्राकृतिक जल पुनर्भरण बाधित होता है और जल-जमाव की समस्या बढ़ जाती है।

वर्तमान समय में निगरानी व्यवस्था भी उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अनेक बार सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका तकनीकी ऑडिट नहीं किया जाता। नालियों की समयबद्ध सफाई, जल निकासी बिंदुओं का निरीक्षण, सड़क की ढाल का परीक्षण तथा वर्षा पूर्व तैयारियों का स्वतंत्र मूल्यांकन नियमित रूप से होना चाहिए। केवल कागजी रिपोर्टों से समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। प्रत्येक नगर में मानसून पूर्व ड्रेनेज ऑडिट और मानसून पश्चात प्रदर्शन मूल्यांकन की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।

सरकार द्वारा सड़क निर्माण, नगर विकास और स्वच्छता के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता धन की नहीं बल्कि उसके विवेकपूर्ण, पारदर्शी और वैज्ञानिक उपयोग की है। सीमित संसाधनों का भी यदि उचित नियोजन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और सतत रख-रखाव के साथ उपयोग किया जाए तो अपेक्षाकृत कम लागत में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

भविष्य की दृष्टि से नगर नियोजन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाना होगा। भू-आकृति आधारित ड्रेनेज मैपिंग, वर्षा जल प्रवाह का डिजिटल विश्लेषण, सेंसर आधारित जलभराव निगरानी, जीआईएस आधारित शहरी नियोजन तथा नियमित सामाजिक ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं नगर प्रशासन को अधिक सक्षम बना सकती हैं। साथ ही नागरिक सहभागिता को भी संस्थागत रूप देना होगा, जिससे प्रत्येक वार्ड अपने क्षेत्र की स्वच्छता और जल निकासी के लिए उत्तरदायी बने। ●●●

मेरा मन बसता मेरे गांव में

स्मृति

विनीत उत्पल

हर वर्ष मानसून आता है, स्मृतियों की खिड़की खोल जाता है और कहता है, बचपन कहीं गया नहीं है, वह अब भी हमारे गांव की भीगी पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ रहा है। बारिश की हर बूंद में आज भी गांव बसता है और गांव में आज भी पूरा बचपन।

मानसून की पहली फुहार पड़ते ही लगता है मानो धरती ने लम्बी तपस्या के बाद राहत की सांस ली हो। भयंकर गर्मी से झुलसे मन और तन पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, स्मृतियां भी महक उठती हैं। उस स्पर्श का सुख वही धरती समझ सकती है, जिसने महीनों तक प्यास सही हो और वही मन समझ सकता है, जिसने प्रेम को जिया हो। आखिर सावन केवल ऋतु नहीं, प्रेम का सबसे मधुर प्रतीक भी तो है। कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना लिखते हैं,

मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं।
आकाश पलकों पर झुक आया है।
क्षितिज मेरी भुजाओं से टकराता है।
आज रात वर्षा होगी, कहां हो तुम?

सचमुच, वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही धरती की देह गुदगुदाने लगती है। चारों ओर हरियाली का आंचल बिछ जाता है। पौधों पर नवांकुर मुस्कुराने लगते हैं। गुलाब के लाल, कनेर के पीले और अपराजिता के नीले फूल जैसे प्रेम का नया व्याकरण लिखने लगते हैं। खेतों में जमा पानी और फिर कीचड़ की उपस्थिति प्रेम और रोमांस की नई कहानी हर ओर गढ़ते दिखाई देते हैं। लगता है बारिश में प्रेम है, मिट्टी में प्रेम है, पेड़ के पत्तों से टपकती बूंदों में प्रेम है, नालों से बहते पानी की धारा में प्रेम है, प्रकृति में प्रेम है और जीवन की हर धड़कन में प्रेम है।

बारिश का अपना एक संगीत होता है, अपना एक राग होता है। रिमझिम फुहारों का धरती की ओर उतरने का अपना राग है। झोपड़ी की छप्पर या पक्की छत से टप-टप गिरती बूंदों का अपना सुर है। नालों में कल-कल बहते वर्षा-जल का अपना आलाप है। हवा के संग सनसनाती बूंदों की अपनी तान है। पत्तों पर थिरकती बूंदों की अपनी झंकार

है, तो खिड़कियों पर आहट देती बारिश का अपना मधुर गान है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट मृदंग की थाप-सी लगती है, तो कहीं बिजली की चमक मानो किसी वाद्य का तीखा स्वर बन जाती है। खेतों में झूमती फसलों का नर्तन, पेड़ों की डालियों का लहराना और मिट्टी से उठती सोंधी महक, सब मिलकर प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगीत रचते हैं, जिसे सुनने के लिए किसी वाद्य की नहीं, केवल संवेदनशील मन की आवश्यकता होती है।

बारिश का यह राग मन से सुना जाता है। यही राग है, सूखी तपती धरती को शीतलता देता है और मनुष्य के नदियों में जीवन का संचार करता है भीतर सोई स्मृतियों को जगा देता है। पहली बारिश की फुहार पड़ते ही बचपन की कागज की नावें, भीगते आंगन, कीचड़ से सने पांव, नम मिट्टी में रेंगते केंचुए, पेड़ों की डालियों पर झूलते झूले और मां की गरम पकौड़ियों की सोंधी सुंगध एक साथ स्मृतियों के आंगन में उतर आती है। वर्षा का यह अनूठा संगीत हर बार हमें यह अनुभव कराता है कि प्रकृति का सबसे मधुर राग वही है, जो बिना किसी वाद्य के सीधे हृदय में गूंज उठता है। उसकी हर बूंद बचपन की किसी भूली हुई कहानी का पन्ना खोल देती है। बारिश की फुहारों के साथ हर आंगन गुनगुनाया करता था। मेघों की गर्जना, बिजली की चमक और दूर-दूर तक फैली हरियाली का अनुपम वैभव आंखों में समाता था।

कभी कागज की नावें पानी के साथ सपने बहाती थीं, तो कभी केले और अरबी के पत्तों के बने छाते दुनिया का सबसे सुरक्षित आसरा होते थे। कभी खेतों के कीचड़ में फिसलना किसी उत्सव से कम नहीं लगता था, तो कभी आंगन में एक-दूसरे को बारिश के पानी में भिंगोना और भीगते-भीगते घंटों हंसते रहना ही सबसे बड़ा सुख था। कभी सड़क किनारे किसी टप्पर की छांव मिलती थी, तो कभी आम के बाग में पेड़ की कोटर घर बन जाती थी। घंटों बारिश रुकने की प्रतीक्षा भी किसी रोमांच से कम नहीं होता था। कोयल की मधुर कूक, मेढ़कों की टर्र-टर्र, झींगुरों की अनवरत झंकार और वर्षा के बाद आकाश में सजे इंद्रधनुष के रंग, ये सब मिलकर प्रकृति की ऐसी सुरमयी रचना करते थे, जिसकी गूंज आज भी स्मृतियों के आंगन में मधुर स्वर बनकर सुनाई देती है।

आज भी जब सावन की पहली बूंद धरती को चूमती है, मन की पगडंडी सीधे गांव पहुंच जाती है। वही गांव जहां गर्मी की छुट्टियां जीवन का सबसे बड़ा उत्सव हुआ करती थीं। तब एकल परिवार की परम्परा दूर-दूर तक नहीं थी। सबका संयुक्त परिवार होता था। चचेरे भाई-बहनों की फौज हर घर में हुआ करती थी। बालपन शरारतों की सीख बड़े भाई या बहन से छोटों को मिल जाती थी। सावन आते ही वह शरारत और भी हरी हो जाती थी।

पहली बारिश के साथ ही गांव की महिलाएं भनसाघर (किचन) की ओर दौड़ पड़ती थीं। लकड़ी के चूल्हे जलते थे, सरसों के तेल की महक मोहल्ले में छाती थी और पकौड़ों की खुशबू पूरे टोले में फैलती थी। प्याज के पकौड़े, तिलकौड़ के पकौड़े, हरी मिर्च के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, कदीमा (कद्दू) के पकौड़े, बेसन की बड़ी आदि बनती थी। कितनी किस्मों के पकौड़े के स्वाद किसके हिस्से में आते थे, वह समय के साथ स्मृति से विस्मृत होते जा रहे हैं। अधिकांश गांव में सबसे बड़ा आकर्षण होता था अरकिंचन (अरबी) के पत्तों के पकौड़े। घर की बुजुर्ग महिला बाड़ी से ताजे पत्ते तोड़कर लातीं, चावल पीसकर उसका लेप बनातीं, पत्तों को परत-दर-परत चिपकाकर रोल तैयार करतीं। फिर गोल-गोल टुकड़े काटकर हल्का सुखातीं और मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की छोटी कड़ाही में सरसों के तेल में तलकर घर के लोगों के सामने खाने के लिए परोस देतीं। उस स्वाद में केवल मसाले नहीं, रिश्तों का अपनापन भी घुला होता था।

बारिश में खेतों से भुट्टे तोड़कर कोयले की आंच में सेंकना किसी दावत से कम नहीं होता था। यह आवश्यक नहीं था कि भुट्टा अपने ही खेत का हो। जिस खेत में अच्छे भुट्टे दिखे, वहीं से दो-चार तोड़ लिए जाते थे। फिर किसी स्नेही चाची या भाभी से आग्रह किया जाता कि इन्हें भून दीजिए। बारिश की बूंदें जब बुलावा देती थीं, तो मन कहां मानता था। चचेरे भाइयों के साथ बच्चे खेतों की ओर निकल पड़ते। कीचड़ में उतर जाते और धान लगाने लगते। न कोई संकोच, न कोई झिझक। पूरा गांव अपना था, हर खेत-खलिहान जैसे घर-आंगन-सा लगता था।

50+ YEARS OF MOMENTUM
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
बदलत्या हवामानात स्वतःची काळजी घ्या...
आणि कल्याण जनता बँकिंग ॲप द्वारे तुमची सर्व बँकिंग कामे करा - सुरक्षितपणे, सहज आणि घरबसल्या.
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.bank.in
KJSBank

सतर्कता

सुभाष चंद्र

मानसून के समय ही लोग प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। असीम सौंदर्य बिखेरती प्रकृति को देखकर सहज ही पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों पर्यटकों को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, डालते हैं इस पर एक दृष्टि।

प्रकृति का आनंद सावधानी के संग

मानसून वह समय होता है जब लाखों लोग अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के लिए पर्यटन स्थलों की ओर जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र हों, झीलें हों, समुद्र तट हों या झरने-हर स्थान पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मानसून पर्यटन उद्योग के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है, लेकिन इसके साथ कुछ गम्भीर चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। बारिश का मौसम लोगों को रोमांच और ताजगी का अनूठा अनुभव देता है। परिवार, मित्रों के समूह, युवा और नवविवाहित दम्पत्ति विशेष रूप से इस मौसम में घूमने की योजना बनाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भरे रहते हैं। सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई स्थानों पर वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं और होटल पहले से ही पूरी तरह बुक हो जाते हैं। यह बढ़ती हुई भीड़ इस बात का प्रमाण है कि मानसून पर्यटन लोगों की पहली पसंद बन चुका है।

पर्यटकों की इस अप्रत्याशित भीड़ से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त लाभ मिलता है। होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे, रेस्तरां, टैक्सी संचालक, स्थानीय गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता और छोटे-बड़े दुकानदारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जिन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है, वहां मानसून का मौसम किसी त्योहार से कम नहीं होता। स्थानीय युवाओं को अस्थायी रोजगार मिलता है और छोटे व्यापारियों की अच्छी कमाई हो जाती है। इस प्रकार पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम भी बन जाता है।

हालांकि बढ़ती मांग का लाभ उठाकर कुछ लोग पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलने लगते हैं। कई होटल मानसून सीजन के नाम पर कमरों का किराया कई गुना बढ़ा देते हैं। टैक्सी और निजी वाहन चालक भी सामान्य किराए से कहीं अधिक राशि वसूलते हैं। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम भी कई स्थानों पर बढ़ा दिए जाते हैं। मजबूरी में पर्यटकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। पर्यटन उद्योग की समृद्धि आवश्यक है, लेकिन अनुचित लाभ कमाने की प्रवृत्ति

पर्यटकों के अनुभव को खराब करती है। प्रशासन को चाहिए कि वह निर्धारित दरों का पालन सुनिश्चित करे और मनमानी वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या का प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पर भी दिखाई देता है। कई लोग प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और अन्य कचरा खुले में फेंक देते हैं, जिससे प्राकृतिक स्थल प्रदूषित होते हैं। झीलों, नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों की स्वच्छता प्रभावित होती है। यदि पर्यटन का आनंद लेना है तो प्रकृति की रक्षा करना भी प्रत्येक पर्यटक का कर्तव्य होना चाहिए। स्वच्छ पर्यटन केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज पर्यटन का स्वरूप भी बदल चुका है। पहले लोग प्राकृतिक सौंदर्य देखने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने पर्यटन को नई दिशा दे दी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे मंचों पर आकर्षक रील और चित्र साझा करने की होड़ लगी रहती है। अनेक लोग यात्रा से अधिक समय फोटो और वीडियो बनाने में बिताते हैं। सुंदर दृश्य के साथ एक अलग और रोमांचक वीडियो बनाने की चाह कई बार लोगों को जोखिम भरे स्थानों तक पहुंचा देती है। यही प्रवृत्ति अनेक दुर्घटनाओं का कारण बन रही है।

हाल ही में कर्नाटक के कुमटा समुद्र तट पर घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पुणे से आया एक पर्यटक मानसून के दौरान समुद्र की ऊंची लहरों के बीच सोशल मीडिया के लिए रील बना रहा था। बेहतर वीडियो बनाने की चाह में वह समुद्र के अत्यंत खतरनाक हिस्से तक पहुंच गया। अचानक आई तेज लहर उसे बहाकर ले गई। कुछ ही क्षणों में मनोरंजन का वह प्रयास एक दुखद हादसे में बदल गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर कुछ क्षणों की लोकप्रियता जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती।

ऐसी घटनाएं केवल समुद्र तटों तक सीमित नहीं हैं। देश के अनेक पर्यटन स्थलों पर लोग ऊंची चट्टानों, झरनों के किनारे, गहरी घाटियों, रेलवे ट्रैक या जंगली जानवरों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। मानसून के दौरान फिसलन, तेज बहाव और कमजोर चट्टानों के कारण खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा बैरिकेड होने के बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी करते हैं, जिसका परिणाम कई बार जानलेवा साबित होता है। दुर्घटना होने के बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। इसलिए मानसून पर्यटन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। पर्यटकों को प्रशासन द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों का पालन करना चाहिए। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तेज बहाव वाली नदियों, झरनों और समुद्र तटों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए। फिसलन वाले स्थानों पर सावधानी बरतनी चाहिए और केवल सुरक्षित स्थानों पर ही फोटो या वीडियो बनाना चाहिए। मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करना, बच्चों पर विशेष ध्यान देना तथा स्थानीय प्रशासन और बचाव दल के निर्देशों का पालन करना प्रत्येक पर्यटक की जिम्मेदारी है। प्रशासन की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी, प्रशिक्षित बचाव दल, चेतावनी बोर्ड, बैरिकेड्स, प्राथमिक उपचार केंद्र तथा आपातकालीन सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही मनमाना किराया वसूलने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि पर्यटकों का विश्वास बना रहे और पर्यटन उद्योग स्वस्थ रूप से विकसित हो सके।

मानसून का आनंद तभी सार्थक है, जब वह सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से लिया जाए। प्रकृति हमें सुंदर दृश्य, शीतल वातावरण और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। बदले में हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मर्यादा बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करें। पर्यटन का उद्देश्य जीवन को आनंदमय बनाना है, उसे संकट में डालना नहीं। यदि हम थोड़ी सावधानी, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें, तो मानसून की हर यात्रा सुखद स्मृति बन सकती है।

प्रकृति के संकेतों को समझें

संकेत

डॉ. दीपक कोहली

हम इतिहास के पन्नों को पलटें और थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, तो यह प्रश्न सामने आता है कि जब ये यांत्रिक साधन, कम्प्यूटर और मौसम विज्ञानी नहीं थे, तब हमारे पूर्वज प्रकृति के स्वभाव को इतनी सटीकता से कैसे भांप लेते थे?

प्रकृति कभी भी बिना चेतावनी दिए कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाती और न ही वह बिना पूर्व सूचना के अपना रौद्र रूप दिखाती है। वह हर छोटी-बड़ी मौसमी और भूगर्भीय हलचल से पहले धरातल पर सैकड़ों मूक संकेत देती है- चाहे वह बादलों का विशेष बिखराव हो, हवा में तैरती मिट्टी की सोंधी गंध हो, चींटियों की अनुशासित कतार हो, वनस्पति का असमय पल्लवित होना हो या फिर पक्षियों का क्रंदन हो।

प्राकृतिक आपदाओं और मौसमी बदलावों के प्रति मानव की तुलना में पशु-पक्षी, कीट-पतंगे और अन्य मूक जीव कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके पास ऐसी प्राकृतिक संवेदी क्षमताएं और छठी इंद्री होती है, जो वायुमंडलीय दबाव, तापमान, आर्द्रता और पृथ्वी के भीतर होने वाली सबसे सूक्ष्म हलचलों को भी बहुत पहले पकड़ लेती हैं। लोक-अनुभवों में आज भी यह बात पूरी तरह प्रामाणिक मानी जाती है कि यदि काली चींटियां अचानक अपने अंडों को मुंह में दबाकर सुरक्षित, सूखे या ऊंचाई वाले स्थानों की ओर कतार बनाकर जाने लगें, तो यह निकट भविष्य में होने वाली मूसलाधार बारिश का स्पष्ट संकेत है। विज्ञान कहता है कि हवा में नमी बढ़ते ही चींटियों को अपने भूमिगत बिलों के धंसने का आभास हो जाता है, जिससे वे आत्मरक्षा में सक्रिय हो जाती हैं। इसी तरह यदि गौरैया जैसी छोटी चिड़िया धूल में नहाने लगे, अपने पंखों को बार-बार फड़फड़ाए या अचानक बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी नीचे आकर पेड़ों की घनी और निचली शाखाओं में छिपने लगें, तो हमारे बुजुर्ग तुरंत समझ जाते थे कि कुछ ही घंटों में तीव्र आंधी, तूफान या भारी वर्षा आने वाली है। इसके विपरीत यदि वर्षा ऋतु के आगमन से ठीक पहले मोर असमय और अत्यधिक मयूर-नृत्य करने लगें या अपनी गूंजती हुई आवाज में पीहू-पीहू की रट लगा लें, तो यह बादलों के बरसने के संकेत होते थे। मेंढकों का अचानक तेज आवाज में टर्राना और रात के सन्नाटे में झींगुरों की तीव्र झंकार हवा में बढ़ते जलवाष्प के स्तर को प्रकट करती थी। वहीं यदि टिड्डियों के बड़े-बड़े झुंड किसी एक दिशा में बहुत तेजी से

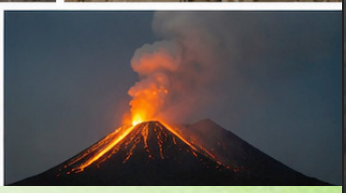

पलायन करने लगें, तो प्राचीन काल में इसे आने वाले अकाल या सूखे का प्रारम्भिक और चिंताजनक सूचक माना जाता था।

पारम्परिक कृषि ज्ञान और लोक-कहावतों के अनुसार यदि किसी वर्ष महुआ, पलाश, नीम या बबूल के पेड़ों पर अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक फूल और फल आने लगें, तो इसे आने वाले समय में भीषण गर्मी और सम्भावित सूखे का सूचक माना जाता था। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अत्यधिक तनाव या प्रतिकूल परिस्थितियों की आहट पाकर पौधे अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए रक्षात्मक रूप से अधिक बीज और फल पैदा करने लगते हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु के आगमन से ठीक पहले जब हवा में आर्द्रता अत्यधिक बढ़ जाती है, तो कुछ विशेष जंगली लताओं और छुईमुई जैसे पौधों की पत्तियां प्राकृतिक रूप से सिकुड़ जाती हैं या उनका झुकाव भूमि की तरफ होने लगता है। यदि आम के पेड़ों पर बौर बहुत जल्दी, प्रचुर और भारी मात्रा में आ जाए, तो इसे अच्छी और समय पर होने वाली मानसूनी वर्षा का अग्रदूत माना जाता था। इसके विपरीत यदि वर्षा काल में भी पेड़ों की पत्तियां असमय पीली होकर गिरने लगें, तो समझ लिया जाता था कि मानसून असमय विदा हो रहा है और सूखे के दिन करीब हैं।

पुरानी कहावतें आज भी मौसम विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों को टक्कर देती हैं। यदि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश का रंग गहरा लाल, सिंदूरी या ताम्बे जैसा चमकीला दिखाई दे, तो हमारे पूर्वज मान लेते थे कि अगले कुछ दिनों में तेज आंधी या चक्रवाती हवाएं चलने वाली हैं। वहीं, यदि शरद या वर्षा ऋतु की रातों में चंद्रमा के चारों ओर एक बहुत बड़ा धुंधला घेरा या वलय दिखाई दे, जिसे स्थानीय बोलियों में 'कुंडली' या 'मंडल' कहा जाता है, तो यह इस बात का अचूक प्रमाण होता था कि आगामी 24 से 48 घंटों के भीतर भारी वर्षा होने वाली है। हवाओं का स्वभाव तो किसानों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। यदि आषाढ़ के महीने में पुरवा हवा लगातार चलती थी, तो यह तय माना जाता था कि मानसून पूरी तरह कृपा करेगी और चारों तरफ झमाझम बारिश से खेत लबालब भर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि सावन के पवित्र और कजरारे महीने में भी पछुआ हवा चलने लगती थी, तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती थीं क्योंकि यह सूखे और फसलों के नष्ट होने का सीधा संकेत होता था।

भूकम्प, सुनामी या ज्वालामुखी जैसी भयानक भूगर्भीय आपदाओं से पूर्व प्रकृति जो संकेत देती है, वे सबसे अधिक विस्मयकारी और जीवन रक्षक सिद्ध हो सकते हैं। जब भी धरती के भीतर कोई बड़ी हलचल या भूकम्प आने वाला होता है, तो पालतू और जंगली जानवर मनुष्यों से बहुत पहले बेचैन हो जाते हैं। भूकम्प आने से कुछ घंटे पहले कुत्ते अचानक बिना किसी बाहरी कारण के अजीब ढंग से भौंकने, चीखने और रोने लगते हैं। गौशालाओं में बंधी गाएं और भैंसें खूंटे से बंधे होने के बाद भी अत्यधिक व्याकुल होकर रम्भाने लगती हैं, अपनी रस्सियां तोड़ने का प्रयास करती हैं और चारों तरफ भागने के लिए छटपटाती हैं। गहरे पानी में शांत रहने वाली मछलियां अचानक व्याकुल होकर तालाब या समुद्र की सतह पर आकर कूदने और छटपटाने लगती हैं। यह असल में पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली अत्यंत कम आवृत्ति की ध्वन्यात्मक तरंगों और चुम्बकीय क्षेत्र में होने वाले सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलावों के प्रति इन जीवों की त्वरित और जन्मजात संवेदी प्रतिक्रिया होती है। वर्ष 2004 में जब हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी, तब मनुष्यों को आधुनिक उपकरणों के बाद भी इसकी भनक बहुत देर से लगी, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्रों के वन्यजीव, हाथी और पक्षी बहुत पहले ही समंदर का किनारा छोड़कर पहाड़ियों और ऊंचे सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए थे, जिससे उनकी जान बच गई थी।

यदि हम अपनी व्यस्त जीवनशैली से थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के इन मूक संकेतों और संदेशों को दोबारा पढ़ना, समझना और उनका आदर करना सीख जाएं, तो हम न केवल कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के जान-माल की हानि से स्वयं को बचा सकते हैं बल्कि इस अनमोल धरती के पर्यावरण के साथ एक दीर्घकालिक और सुंदर संतुलन भी स्थापित कर सकते हैं। ●●●

अपराध

आशुतोष कुमार सिंह

हत्याओं के पीछे छिपी मानसिकता

बात-बात पर किसी की हत्या वर्तमान समय में एक चिंताजनक सामाजिक प्रवृत्ति बनती जा रही है। विगत जून माह की बात करे तो दो ऐसी घटनाएं घटीं जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पुणे के लोहगढ़ किले में एक 26 वर्षीय व्यवसाई की हत्या का मामला चर्चा में रहा है। पुलिस जांच के अनुसार यह मामला दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची-समझी षडयंत्र का परिणाम था, जिसमें व्यवसाई की मंगेतर और उसके सहयोगी पर खाई में धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। इसी प्रकार मुम्बई की एक लोकल ट्रेन में दरवाजे पर खड़े होने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 22 वर्षीय युवक मयंक लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

क्षणिक आवेश में की जा रही हत्याएं केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हैं बल्कि वे समाज में बढ़ते मानसिक तनाव, घटती सहनशीलता और संवेदनहीन होती मानवीय प्रवृत्तियों का संकेत भी हैं।

यह घटना चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास (प्रथम श्रेणी) डिब्बे में हुई। मुम्बई में हो रही भारी बारिश के दौरान कोच का दरवाजा खुला रखने या बंद करने को लेकर मयंक और आरोपी के बीच मामूली बहस शुरू हुई थी। एक यात्री बारिश के पानी से बचने के लिए दरवाजा बंद करना चाहता था, जबकि दूसरा उसे खुला रखने की बात कर रहा था। अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच यह बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने गुस्से में आकर अपने बैग से चाकू निकाल लिया। उसने मयंक के पेट और छाती पर चाकू से 3 से 4 बार वार किए। डिब्बे में कई अन्य यात्री भी उपस्थित थे, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू देखकर भय के कारण कोई भी मयंक को बचाने या आरोपी को पकड़ने आगे नहीं आया।

वहीं पुणे के लोहगढ़ किले में हुई एक हत्या का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा और आक्रोश का विषय बना हुआ है। यह

घटना 18 जून 2026 की है, जिसे शुरुआत में एक साधारण ट्रैकिंग दुर्गटना माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में यह सोची-समझी हत्या सिद्ध हुई। मृतक की पहचान केतन विशाल अग्रवाल (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पिंपरी-चिंचवड़ (पुणे) के एक बड़े कंस्ट्रक्शन व्यवसाई के बेटे और रियल एस्टेट कम्पनी के डायरेक्टर थे। इसके पूर्व 14 जून 2026 को सिया ने केतन को लोहगढ़ किले पर घूमने के लिए राजी किया। वहां उसने केतन को खाई में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन केतन ने सूझबूझ से एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। सिया उसे फिर से लोहगढ़ किला ले गई। तारीख थी 18 जून, समय हो रहा था सुबह के 10:30। इसके पूर्व सिया और उसका प्रेमी चेतन पुणे के एक कैफे में मिले और फूलप्रूफ प्लान बनाया। चेतन टोल प्लाजा पर पकड़े जाने से बचने के लिए कार की बजाए स्कूटर से लोहगढ़ किला पहुंचा। किले पर एक तय सुनसान पॉइंट पर जैसे ही सिया नीचे बैठी (जो कि पहले से तय किया गया सिग्नल था ताकि केतन गिरते समय सिया को न पकड़ सके), हुडी पहने हुए चेतन ने केतन को लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। केतन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन फोटो खींचते समय फिसल गया।

वर्तमान समय में बात-बात पर होने वाली हिंसक घटनाएं और हत्या के मामले, विशेषकर पारिवारिक रिश्तों में या राह चलते छोटी-सी बात पर अचानक होने वाला हिंसक मामले समाज के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

ये दोनों घटनाएं बेहद चिंताजनक और गम्भीर हैं। वर्तमान समय में बात-बात पर होने वाली हिंसक घटनाएं और हत्या के मामले, विशेषकर पारिवारिक रिश्तों में या राह चलते छोटी-सी बात पर अचानक होने वाली हिंसक घटनाएं, समाज के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं।

जब कोई व्यक्ति बिना किसी बड़े या तार्किक कारण के क्षणिक आवेश में आकर इतना बड़ा कदम उठा लेता है, तो उसके पीछे कोई अचानक उत्पन्न हुई स्थिति नहीं होती बल्कि लम्बे समय से पनप रहे अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारगत कारण सक्रिय होते हैं।

मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण

आज के समय में लोगों में धैर्य की भारी कमी देखी जा रही है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और स्वयं को सही सिद्ध करने की होड़ में लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देते हैं। क्षण भर का गुस्सा विवेक को पूरी तरह शून्य कर देता है। जब व्यक्ति की व्यक्तिगत, आर्थिक या भावनात्मक अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो उसके भीतर एक गहरी हताशा जन्म लेती है। जब यह हताशा लम्बे समय तक दबी रहती है, तो यह किसी छोटी सी बात पर भी भयंकर आक्रामकता या हिंसा के रूप में बाहर आती है। ऐसे में कोई भी छोटी सी बहस 'ट्रिगर' का काम कर देती है।

सामाजिक और पारिवारिक कारण

पहले संयुक्त परिवारों या समाज में ऐसे लोग होते थे जो व्यक्ति का क्रोध शांत कराते थे या उसकी बात सुनते थे। आज लोग एकल परिवारों या अकेलेपन में जी रहे हैं। अपने मन के गुबार को सकारात्मक तरीके से निकालने का कोई जरिया न होने के कारण तनाव भीतर ही भीतर उबलता रहता है।

तकनीकी और सांस्कृतिक कारण

सोशल मीडिया, हिंसक वेब सीरीज और वीडियो गेम्स के अत्यधिक चलन ने मानव मस्तिष्क को हिंसा के प्रति असंवेदनशील बना दिया है। जब स्क्रीन पर लगातार खून-खराबा देखा जाता है, तो वास्तविक जीवन में भी हिंसा को एक सामान्य समाधान के रूप में देखने की भूल अनजाने में मस्तिष्क करने लगता है। आज इंटरनेट के युग में हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है। जब असल जिंदगी में स्थितियां मनमानी नहीं होतीं, तो व्यक्ति हिंसक हो उठता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात हो: स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर तनाव प्रबंधन और गुस्सा नियंत्रण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

सहानुभूति का विकास: बच्चों को बचपन से ही दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना सिखाया जाना चाहिए।

संवाद को महत्व: रिश्तों में या समाज में विवादों को बातचीत से सुलझाने की संस्कृति को दोबारा जीवित करना होगा।

यह स्थिति समाज के लिए चेतावनी है कि हम भौतिक रूप से तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भावनात्मक और मानसिक रूप से कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं।

पितांबरी®
शायनिंग पाउडर
३७ सालों से
तांबा-पीतल के बर्तन
चमकाने वाला
अनमोल उपहार।
25g EXTRA
Always Shines Bright Since 1989
The Original & No.1 Brand
Pitambari®
Shining Powder
Pleasant Fragrance
More Shine for 5 Metals
COPPER ARTICLES
BRASS ARTICLES
IRON UTENSILS
ALUMINIUM UTENSILS
STEEL TAP
An ISO 9001:2015 Registered Company
स्वच्छता की पहचान
चमक का अनमोल उपहार।
Pitambari Products Pvt. Ltd.: Maharashtra: 8291853804, North: 7011012599,
South: 9886553105, East: 7752023380, 9867102999, CRM: 022 - 67035564 / 5699.
Toll Free: 18001031299 I CIN: U52291MH1989PTC051314.

डॉ. शुभ्रता मिश्रा

धरती की दरारों से उठी त्रासदी

पिछले महीने 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए भूकम्प से धरती कांप उठी और वहां भारी विध्वंस हो गया। इस त्रासदी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोग घायल हुए, कई लोग लापता भी हुए और हजारों लोग बेघर हो गए।

पिछले महीने 24 जून 2026 को वेनुजुएला में भूकम्प से धरती कांप उठी और वहां भारी विध्वंस हो गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित वेनेजुएला कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर से घिरा एक उष्णकटिबंधीय देश है। तेल के विशाल भंडार और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी यह राष्ट्र भूकम्पीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। कैरिबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर बसे होने के कारण यहां बार-बार धरती कांपती रही है। ये विशालकाय प्लेटें प्रत्येक साल लगभग 20 मिलीमीटर तक एक-दूसरे के बाजू से खिसकती हैं। जब ये प्लेटें आपस में फंस जाती हैं, तो बहुत भारी दबाव बनने से चट्टानें इसे सहन नहीं कर पातीं और अचानक टूट जाती हैं। फलस्वरूप भारी मात्रा में बाहर निकलने वाली ऊर्जा धरती के अंदर भूकम्पीय तरंगों के रूप में फैलती है, जिससे सतह पर जोर से धरती हिलने लगती है और भूकम्प आते हैं।

कुछ यही कारण था कि 24 जून को राजधानी काराकस सहित पूरे देश ने इतिहास का सबसे भयानक भूकम्पीय दृश्य देखा। मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे झटके आए, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'अर्थक्वेक डबलेट' कहते हैं। पहले झटके ने भवनों को कमजोर किया और दूसरे ने उन्हें पूरी तरह ढहा दिया। ऊंचे भवन मलबे में बदल गए, हवाई अड्डा बंद करना पड़ा और हजारों लोग मलबे में दब गए। राजधानी काराकस की चहल-पहल अकस्मात् भयावह मौन में बदल गई। इस भीषण भूकम्प ने अब तक लगभग 2,295 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। इस विनाशकारी आपदा में 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने मृतकों की संख्या 10,000 से 1,00,000 तक होने की आशंका जताई है। यह आंकड़ा केवल संख्याएं नहीं हैं, वरन् टूटे हुए परिवारों, बिखरे हुए सपनों और मौन

चीखों रूपी ऐसे दर्पण हैं, जो मानव सभ्यता को बताना चाहते हैं कि धरती की गहराईयां हमारी योजनाओं से कहीं बहुत बड़ी होती हैं। जब धरती करवट लेती है, तो हमारे गगनचुम्बी भवन मानो रेत के महल बन जाते हैं।

भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकम्प का कारण उथली स्ट्राइक-स्लिप फॉल्टिंग था यानी प्लेटों की दरारें क्षैतिज दिशा में अचानक खिसकीं और वेनेजुएला की प्रमुख फॉल्ट लाइनों यथा बोकोनो, सैन सेबस्टियन और एल पिलर ने ऊर्जा को बाहर निकाला। यही कारण है कि आफ्टरशॉक्स अर्थात् भूकम्प के बाद के झटकों की लम्बी श्रृंखला काफी समय तक जारी रही। इतिहास साक्षी है कि भूकम्पों ने वेनुजुएला की भूमि को पहले भी कई बार दहलाया है। सन् 1812 का बोकोनो फॉल्ट भूकम्प लगभग 30,000 लोगों की जान ले गया था। इसी तरह सन् 1967 में कारावस में 6.6 तीव्रता का झटका आया था। वहीं वर्ष 2018 और 2025 में भी शक्तिशाली भूकम्प दर्ज हुए। बहुत से लोगों के मन में अधिकतर कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि जब वेनेजुएला इतने भूकम्पों को झेलने का अनुभवी हो गया है, तो क्या इतने बड़े रिएक्टर पर भूकम्प आनेवाला है, इसकी जानकारी वहां का सम्बंधित विभाग पहले से नहीं दे सकता था। यदि वहां पर भूकम्प से निपटने की व्यवस्था थी, तो क्यों इतना भारी जान-माल की क्षति हुई। इसका उत्तर यही है कि वैज्ञानिक अभी तक भूकम्प की तारीख, समय और तीव्रता का सटीक पूर्वानुमान लगाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर की हलचल इतनी जटिल है कि भूकम्प आने से पहले कोई निश्चित संकेत नहीं मिल पाते हैं। हां, वैज्ञानिक केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के कौन से क्षेत्र भूकम्प के कारण संकट में हैं। जैसा कि वेनेजुएला के लिए स्पष्ट चेतावनी वे देते रहे हैं कि प्लेट बाउंड्री पर तनाव लगातार जमा हो रहा है और बेहतर निर्माण कोड व आपात योजना ही इन हानि को घटा सकते हैं। विडम्बना यह है कि इन चेतावनियों को वेनेजुएला क्या समझे और कितना पालन करे क्योंकि इस आपदा ने उसकी सामाजिक-आर्थिक शक्तिहीनता को प्रकट जो कर दिया है। दशकों से तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था, गरीबी और असमानता से जूझते समाज में राहत कार्य कठिन हो गए। राजधानी की घनी जनसंख्या और कमजोर भवनों ने विध्वंस को और बढ़ा दिया। ये पहले से ही भारी विदेशी कर्ज और आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। उस पर कई आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान दर्शाता है कि भूकम्प के कारण देश को लगभग 7 अरब डॉलर का सीधी आर्थिक हानि हुई है। निश्चितरूप से वेनेजुएला की यह त्रासदी मानवता की साझा चुनौती है।

●●●

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

पुस्तकों का खजाना

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

₹ 700/- ₹ 700/- ₹ 700/- ₹ 700/- ₹ 700/- ₹ 400/- ₹ 60/- ₹ 200/-
₹ 500/- ₹ 250/- ₹ 180/- ₹ 250/- ₹ 250/- ₹ 150/- ₹ 200/-

10 से अधिक प्रतियां बुक करने पर विशेष छूट दी जाएगी

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

• Bank Details : State Bank of India • Branch : Charkop,
• A/C No. : 00000043884034193 • IFSC Code : SBIN0011694

पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

प्रशांत : 9594961855 / भोला : 9930016472 / संदीप : 7045961331
कार्यालय : 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

डॉ. मनीष मोहन गोरे

ये हैं भूकम्प के जोखिम क्षेत्र

भारत में प्राकृतिक आपदाओं का भय हमेशा बना रहता है और इनमें भूकम्प, बाढ़ और चक्रवात गम्भीर चुनौतियां हैं। भूकम्प के जोखिम वाले क्षेत्र व उसके बचाव के उपायन पर इस आलेख में विस्तृत चर्चा की गई है।

भारत एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक आपदाओं का भय हमेशा बना रहता है और इनमें भूकम्प, बाढ़ और चक्रवात गम्भीर चुनौतियां हैं। इनमें भूकम्प एक बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली आपदा है और दुर्भायवश हाल के वर्षों में भूकम्प की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जैसे कि फरवरी 2025 तक भारत में 159 भूकम्प दर्ज किए गए, जिनमें दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकम्प भी शामिल है। वैसे तो प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उचित तैयारी और प्रभावी बचाव उपायों से उनके हानिकारक प्रभावों और क्षति को कम किया जा सकता है। भारत का लगभग 59% भू-भाग भूकम्प की सम्भावना वाले क्षेत्रों में आता है, जिसमें से कुछ क्षेत्र अत्यधिक जोखिम वाले हैं। भूकम्प से बचाव के लिए पूर्व-तैयारी अत्यंत आवश्यक है।

देश को भूकम्प के संकट के आधार पर चार मुख्य जोन (II, III, IV, V) में बांटा गया है, जहां जोन-त सबसे अधिक घातक होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूकम्परोधी तकनीकें, जैसे बेस आइसोलेशन और शॉक एब्जॉर्बर, ऊंचे भवनों को भूकम्प के झटकों से बचाने में सहायता करती हैं।

भारत में भूकंम्प का संकट और बचाव के तरीके

भारत की भूगर्भीय संरचना इसे भूकम्प के प्रति संवेदनशील बनाती है। देश को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भूकम्पीय जोनेशन मैप के आधार पर चार मुख्य जोन में विभाजित किया गया है, जो संकट के स्तर को दर्शाते हैं।

जोन-V (अत्यधिक उच्च जोखिम): यह भारत का सबसे सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य (जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा), जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से (जैसे कश्मीर घाटी), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (विशेषकर हिमालयी क्षेत्र), गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

जोन-IV (उच्च जोखिम): इस क्षेत्र में दिल्ली, मुम्बई, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं। इन क्षेत्रों में मध्यम से उच्च तीव्रता के भूकम्प आने की सम्भावना रहती है।

जोन-III (मध्यम जोखिम): यह क्षेत्र मध्यम तीव्रता के भूकम्पों

के लिए संवेदनशील है और इसमें देश के कई मध्यवर्ती हिस्से शामिल हैं।

जोन-II (कम जोखिम): यह सबसे कम भूकम्पीय सक्रिय क्षेत्र है और इसमें प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां भूकम्प का भय अपेक्षाकृत कम होता है।

भूकम्प से पहले की तैयारी

भूकम्प के जोखिमों को देखते हुए भूकम्प से बचाव के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर तैयारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। भूकम्प आने से पहले की गई तैयारी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। जागरूकता और शिक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अपने परिवार और समुदाय को भूकम्प के संकटों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं या मरम्मत करवा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह भूकम्परोधी मानकों (बिल्डिंग कोड) के अनुसार हों। पुराने भवनों का रेट्रोफिटिंग (भूकम्परोधी सुधार) भी एक महत्वपूर्ण उपाय है।

एक आपातकालीन किट (जिसे गो-बैग भी कहते हैं) हमेशा तैयार रखें। इसमें पानी, खराब न होने वाला भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाएं, टॉर्च, बैटरी चालित रेडियो, अतिरिक्त बैटरी, सीटी, नकद, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां और मोबाइल चार्जर जैसी आवश्यक चीजें होनी चाहिए।

अपने घर, स्कूल और कार्यस्थल पर सुरक्षित स्थानों (जैसे मजबूत मेज या बिस्तर के नीचे या अंदरूनी दीवार के पास) की पहले से पहचान करके रखें। घातक स्थानों (जैसे खिड़कियों, बाहरी दीवारों, भारी फर्नीचर या शीशे के पास) से बचें। इसके अलावा अपने परिवार के साथ एक निकासी योजना बनाएं और उसका नियमित रूप से अभ्यास करें। घर से बाहर निकलने के लिए कई रास्तों की पहचान करें और एक सुरक्षित मिलन स्थल तय करें। भारी फर्नीचर, अलमारियों और वॉटर हीटर को दीवारों से कसकर बांधें ताकि भूकम्प के दौरान वे गिरें नहीं। भारी वस्तुओं को निचली अलमारियों पर रखें ताकि भूकम्प के कारण उनके गिरने की सम्भावना न बने। अंतिम और आवश्यक बात कि परिवार के सदस्यों के आपातकालीन सम्पर्क नम्बरों की एक सूची हमेशा अपने पास रखें।

भूकम्प के दौरान क्या करें?

भूकम्प के झटके का अनुभव होते ही तुरंत यह प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है- झुको, ढको और पकड़ो। यह सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। झुको अर्थात तुरंत जमीन पर झुक जाएं। ढको अर्थात किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं। अपने सिर और गर्दन को अपने हाथों से ढकें। पकड़ो यानी मेज या डेस्क को कसकर पकड़ लें जब तक कि कम्पन बंद न हो जाए। यदि आप घर के अंदर हों तो खिड़कियों, शीशों, बाहरी दीवारों और भारी फर्नीचर से दूर रहें।

ऊंचे भवनों में भूकम्परोधी तकनीकें

आधुनिक शहरीकरण के साथ ऊंचे भवनों का निर्माण बढ़ रहा है और इन भवनों को भूकम्प के झटकों से बचाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बेस आइसोलेशन एक उन्नत तकनीक है जिसमें भवन की नींव और जमीन के बीच लचीले आइसोलेटर (जैसे रबर या स्टील के पैड) लगाए जाते हैं। ये आइसोलेटर भूकम्प के दौरान जमीन के कम्पन को भवनों तक पहुंचने से पहले अवशोषित कर लेते हैं, जिससे भवनों का कम्पन कम हो जाता है शॉक एब्जॉर्बर/डैम्पर, भवन के विभिन्न स्तरों या संरचनात्मक स्वरूपों में लगाए जाते हैं। ये भूकम्प के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे गर्मी में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे इमारत का झूलना और कम्पन कम हो जाता है। सिस्मोटेक्टोनिक डिजाइन में भवनों का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वे अपेक्षित भूकम्पीय बलों को झेल सकें। शीयर वॉल वास्तव में बिल्डिंग के अंदर या बाहरी किनारों पर बनी मजबूत दीवारें होती हैं जो भूकम्पीय बलों के विरुद्ध भवन को अतिरिक्त कठोरता और ताकत प्रदान करती हैं, जिससे पार्श्व विस्थापन कम होता है।

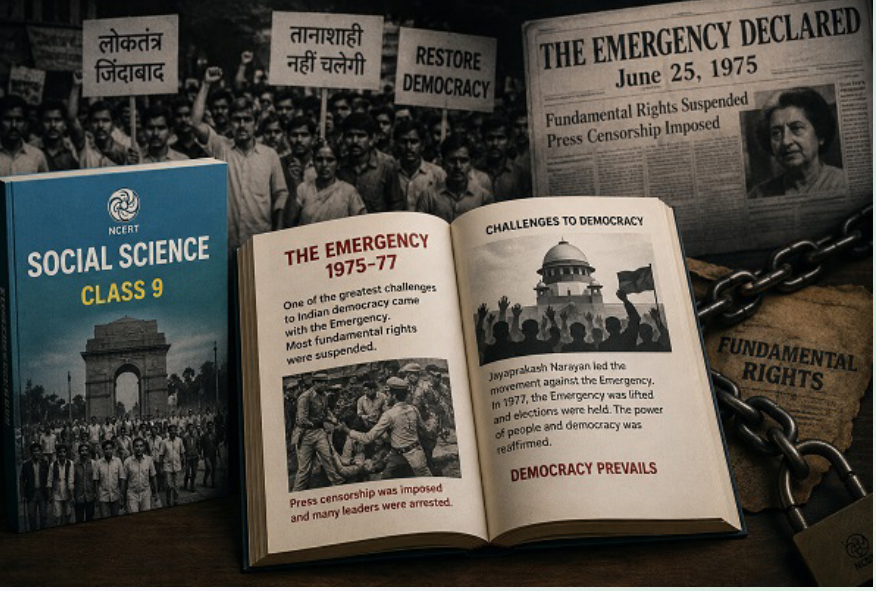

एनसीआरटी पाठ्यक्रम

9वीं कक्षा के छात्र जब आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, तो वे लोकतंत्र के प्रति अधिक जागरूक और सतर्क नागरिक बनेंगे। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब नई पीढ़ी अपनी गलतियों और उपलब्धियों दोनों से सीखे।

आपातकाल का स्वागत योग्य समावेश

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) ने 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक Understanding Society: India and Beyond के अध्याय 6 में 1975-1977 के आपातकाल को शामिल करके एक ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक कदम उठाया है। यह निर्णय भारतीय शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्र की समझ को गहरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब तक यह विषय मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम तक सीमित था, लेकिन अब 9वीं कक्षा से ही छात्र इस 'काले अध्याय' से परिचित होंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और मजबूती दोनों से अवगत कराना है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोहराई न जाए। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के अनुरूप है, जो भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हुए यूरोप-केंद्रित दृष्टिकोण को सीमित करता है।

आपातकाल 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था। यह 21 महीने तक चला और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। पाठ्यपुस्तक में इसे लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठ 155 पर दिए गए विवरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में देश में बेरोजगारी, महंगाई और शासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व वाले जन आंदोलनों ने सरकार के विरुद्ध व्यापक विरोध को आकार दिया। इन परिस्थितियों में 'आंतरिक अशांति' का कारण बताकर आपातकाल लगाया गया।

पाठ्यक्रम में आपातकाल की घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है। सबसे गम्भीर बात यह थी कि अधिकांश मौलिक अधिकार निलम्बित कर दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित इस आपातकाल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता पर भारी प्रतिबंध लगे। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता और जेपी जैसे प्रमुख व्यक्तियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई, जिससे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छिन गई। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। पाठ्यपुस्तक इन तथ्यों के माध्यम से छात्रों को समझाएगी कि लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता भी इसके अंग हैं।

यह समावेश इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि यह छात्रों को इतिहास की गलतियों से सीखने का अवसर देता है। जब कोई देश अपनी कमजोरियों को छुपाता है, तो वह दोहराने का संकट बढ़ जाता है। एनसीआरटी की यह पुस्तक लोकतंत्र की उपलब्धियों के साथ-साथ उसकी चुनौतियों पर भी रोशनी डालती है। जेपी आंदोलन का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के

विरुद्ध 'सम्पूर्ण क्रांति' का नारा दिया। उनके नेतृत्व में बिहार और गुजरात के आंदोलनों ने पूरे देश को प्रभावित किया। पाठ्यक्रम में इन आंदोलनों को लोकतांत्रिक जागरण के उदाहरण के रूप में रखा गया है, जो युवाओं को सक्रिय नागरिकता की प्रेरणा देगा।

आपातकाल ने भारतीय संविधान की शक्ति और सीमाओं दोनों को उजागर किया। मौलिक अधिकारों के निलम्बन से यह स्पष्ट हुआ कि संविधान कितना लचीला है, लेकिन साथ ही यह भी कि उसकी रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय सहित कई संस्थाओं पर दबाव पड़ा। बाद में 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत ने सिद्ध किया कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। जनता ने आपातकाल का खुलकर विरोध किया और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया। नई पाठ्यपुस्तक इन घटनाओं को विस्तार से दर्ज करती है, ताकि छात्र समझ सकें कि लोकतंत्र कोई दिया हुआ उपहार नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष का परिणाम है।

आधुनिक संदर्भ में भी यह अध्ययन प्रासंगिक है। पुस्तक में फेक न्यूज, सामाजिक असमानता और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप की चर्चा आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता से जोड़कर देखी जा सकती है। छात्र सीखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश लोकतंत्र के लिए संकट है। एनसीआरटी के इस कदम से शिक्षा अधिक समग्र और संतुलित बनेगी। पहले यूरोपीय इतिहास पर ज्यादा जोर रहता था, अब भारतीय संदर्भ और अनुभवों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय सभ्यता की निरंतरता और लोकतांत्रिक परम्पराओं को समझना छात्रों के लिए आवश्यक है।

यह बदलाव आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और भी प्रासंगिक लगता है। 1975 की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। साथ ही, यह भी सिखाता है कि जनता की एकजुटता कितनी ताकतवर है। स्कूल स्तर पर इस विषय को शामिल करने से छात्रों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। वे समझेंगे कि चुनावी लोकतंत्र के अलावा नागरिक अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। शिक्षक इस अध्याय के माध्यम से चर्चा करा सकेंगे कि कैसे संस्थागत ढांचे को मजबूत रखना चाहिए।

एनसीआरटी का यह कदम अत्यंत स्वागत योग्य है। यह न केवल इतिहास की शिक्षा देता है बल्कि भविष्य की रक्षा भी करता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पंजीयन करें
पुस्तक का मूल्य
₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

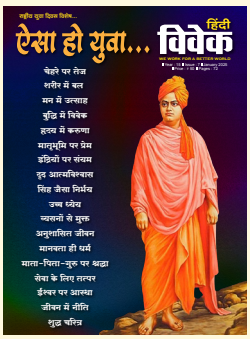

हिंदी विवेक

" We Work For A Better World"

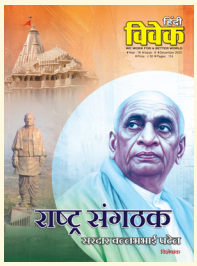

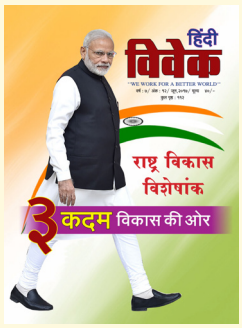

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

निहंग परम्परा का बदलता चेहरा

अतिशयोक्ति

योगेश कुमार गोयल

निहंग परम्परा की नींव सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के साथ रखी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसे योद्धाओं को तैयार किया, जो केवल युद्ध कौशल में ही दक्ष न हों बल्कि धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानें। उनका उद्देश्य किसी पर आक्रमण करना नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना था।

भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे योद्धा समुदाय हुए हैं, जिन्होंने धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सिख इतिहास में निहंगों का स्थान भी इसी गौरवशाली परम्परा का प्रतीक है। अपनी विशिष्ट नीली वेशभूषा, ऊंची पगड़ी, पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र और निर्भीक जीवनशैली के कारण निहंग सदियों से सिख वीरता के प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं। उन्हें 'गुरु की लाडली फौज' तथा 'अकाली'(अकाल पुरुष के सेवक) के नाम से भी जाना जाता है, किंतु हाल के वर्षों में कुछ निहंग समूहों से जुड़ी हिंसक घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े विवादों ने इस गौरवशाली परम्परा की छवि पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं।

निहंग पारम्परिक रूप से गहरे नीले रंग के वस्त्र (चोला) और सिर पर एक बहुत बड़ी, कई परतों वाली पगड़ी (दामला) पहनते हैं, जिस पर लोहे के चक्र और अन्य पारम्परिक हथियार सजे होते हैं। वे हमेशा तलवार, कटार, भाला और ढाल जैसे पारम्परिक हथियारों से लैस रहते हैं तथा अपने पारम्परिक युद्ध कौशल (गतका) के प्रदर्शन के लिए भी जाने जाते हैं। निहंग सिख केवल अकाल (ईश्वर) के आगे झुकते हैं और अत्यंत कड़े नियमों का पालन करते हैं। हालांकि बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में निहंगों की भूमिका परिवर्तित हुई है। ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पारम्परिक शस्त्र धारण करने की उनकी परम्परा आज भी जारी है। अनेक निहंग आधुनिक कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, किंतु कुछ समूहों या व्यक्तियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे स्वयं को कानून से ऊपर समझने का व्यवहार करते हैं। यही प्रवृत्ति समय-समय पर टकराव का कारण बनती है। हाल की कुछ घटनाओं ने इस चिंता को और बढ़ाया है।

जून 2026 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंगों का वाहन पार्किंग को लेकर स्थानीय नागरिकों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तलवारें लहराई गईं तथा पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें सीमाओं पर रोकना पड़ा। रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु क्षेत्र में भी कई दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की गम्भीर चुनौती उत्पन्न की। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान भी कुछ निहंगों पर यातायात नियमों की अवहेलना, स्थानीय नागरिकों से अभद्र व्यवहार तथा धमकाने जैसे आरोप लगे। यद्यपि इन आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती है, लेकिन ऐसी घटनाएं तीर्थ यात्राओं की पवित्रता

और सामाजिक सौहार्द दोनों को प्रभावित करती हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। 2021 में दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर एक व्यक्ति की नृशंस हत्या के मामले में कुछ निहंगों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट धूम्रपान को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या की घटना ने भी यह प्रश्न उठाया कि कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

इन घटनाओं के बाद स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे विवाद बार-बार क्यों सामने आते हैं? पहला कारण यह है कि कुछ समूह पारम्परिक धार्मिक अधिकार और आधुनिक संवैधानिक कानून के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाते। दूसरा, पारम्परिक शस्त्र धारण करने की परम्परा कभी-कभी शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लेती है। तीसरा, सोशल मीडिया और भीड़ आधारित लामबंदी के कारण छोटे विवाद भी शीघ्र बड़े टकराव में बदल जाते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिख धर्म स्वयं न्याय, अनुशासन, सेवा और मानवता का संदेश देता है। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ का मूल उद्देश्य कमजोरों की रक्षा और अत्याचार का प्रतिरोध था, न कि निर्दोष नागरिकों को भयभीत करना या कानून व्यवस्था को चुनौती देना। धार्मिक संगठनों को स्वयं आगे बढ़कर ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, जो उनकी ऐतिहासिक विरासत को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन को भी कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय के प्रति पक्षपात या भेदभाव का आरोप न लगे। धार्मिक यात्राओं के दौरान स्पष्ट दिशा-निर्देश, हथियारों के प्रदर्शन पर निर्धारित नियमों का पालन, यातायात व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय जैसी व्यवस्थाएं भी भविष्य में ऐसे विवादों को कम कर सकती हैं। भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रत्येक धार्मिक और सांस्कृतिक परम्परा का सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, लेकिन यह सम्मान तभी सार्थक है, जब उसके साथ कानून के शासन का भी समान रूप से पालन हो।

निहंगों की ऐतिहासिक विरासत अद्वितीय है और उसे सम्मान मिलना चाहिए, किंतु उसी विरासत की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं निहंग समुदाय पर भी उतनी ही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि निहंगों की पहचान उनके अद्वितीय साहस, सेवा, त्याग और युद्धकला से बने, न कि कुछ व्यक्तियों के कथित कानून-विरोधी आचरण से।

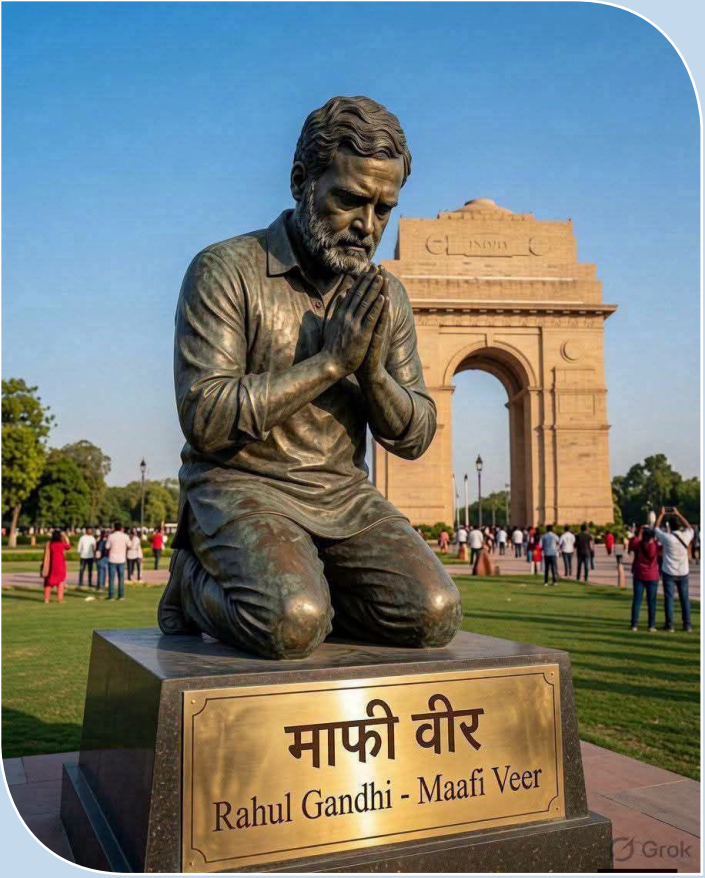

अपरिपक्वता

वीर सावरकर को माफीवीर कहने वाले राहुल गांधी ही असल में माफीवीर निकले। एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्हें न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर वे इन न्यायालयीन मामलों से बाहर निकले, परंतु ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के झूठ बोलने और माफी मांगने का सिलसिला रूकने वाला नहीं है।

विप्लव विकास

असली माफीवीर राहुल गांधी

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी ही पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ चुनावी पराजयों की गर्त में धकेलने और भारतीय राजनीति के पटल पर सबसे अधिक बार 'री-लॉन्च' होने का कीर्तिमान बनाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक अजीब से विरोधाभास के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। वे स्वयं को लोकतंत्र, सत्य और नैतिक राजनीति का ध्वजवाहक बताते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनके भाषण बार-बार उन्हें उसी कोर्टरूम तक ले जाते हैं जहां बयानबाजी का शोर समाप्त और जवाबदेही की भाषा शुरू होती है। यह विरोधाभास अब संयोग नहीं, उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है।

राहुल गांधी जब-जब अपने बड़बोलेपन के कारण न्यायपालिका की चौखट पर खिंचे जाते हैं, तब-तब उनकी आक्रामकता ढीली पड़ी है और उन्हें कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ा है। हाल-फिलहाल की घटनाओं से लेकर अतीत के पन्नों तक, यह कहानी तीखे आरोपों और कानूनी घेराबंदी का एक चक्रव्यूह है।

मध्य प्रदेश का 'पनामा पेपर्स' विवाद (2026)

तथ्यों को बिना परखे, केवल विरोधियों को बदनाम करने की व्याकुलता राहुल गांधी पर किस तरह भारी पड़ती है, इसका सबसे ताजा प्रमाण जून 2026 में देखने को मिला। साल 2018 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर विवाद तब गहराया जब उसे पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जोड़कर देखा गया। पनामा पेपर्स का संदर्भ सामने आने के बाद मामला राजनीतिक बहस से निकलकर न्यायालय तक पहुंचा। इस मानहानि मामले में जब कानूनी शिकंजा कसा, तो वर्ष 2026 में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश

उच्च न्यायालय में लिखित रूप से माफी मांगी और उसके बाद मामला बंद हुआ।

'चौकीदार चोर है' मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मांगी माफी

राहुल गांधी के इस भ्रामक नैरेटिव का सबसे चर्चित अध्याय 2019 के आम चुनावों के दौरान लिखा गया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 'चौकीदार चोर है का' नारा कांग्रेस का चुनावी हथियार बन गया था, लेकिन राहुल गांधी ने जब इसे सर्वोच्च न्यायालय की मुहर से जोड़ दिया, तो मामला साधारण राजनीतिक आरोप से आगे बढ़ गया। उन्होंने एक जनसभा में दावा कर दिया कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है। न्यायालय के नाम पर किया गया यह दावा न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत था बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा से भी टकराता था। न्यायालय की अवमानना का यह मामला जब न्यायालय के सामने आया, तो देश ने राहुल गांधी के अहंकार को ढहते देखा। बाद में जब कानूनी दबाव बढ़ा, तो राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ी और स्पष्टीकरण की मुद्रा में लौटना पड़ा।

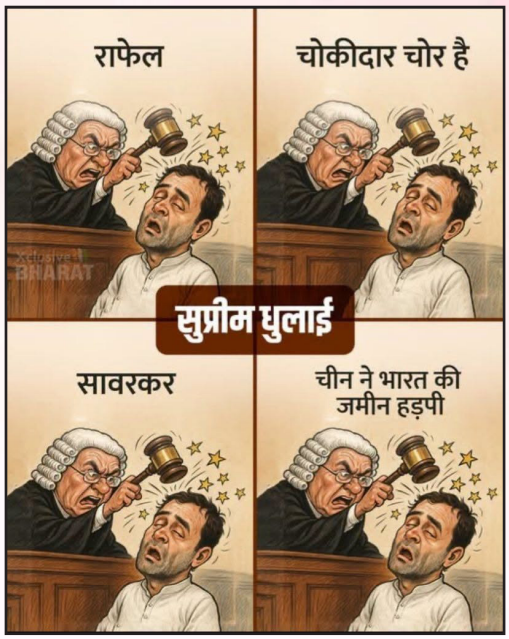

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप और न्यायालयीन कार्यवाही (2014-2024)

2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा और विवादित प्रहार किया था। आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने वाला यह वक्तव्य न सिर्फ राजनीतिक रूप से विस्फोटक था बल्कि कानूनी रूप से भी बेहद गम्भीर था। उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चला।

'मोदी सरनेम' विवाद और संसद की सदस्यता जाना (2019-2023)

राहुल गांधी के करियर की सबसे बड़ी कानूनी चोट 2019 के मोदी सरनेम वक्तव्य से जुड़ी रही। कोलार की रैली में उन्होंने यह टिप्पणी की कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? यह वाक्य केवल राजनीतिक व्यंग्य नहीं था, इसे एक पूरे पिछड़े और वंचित समाज पर अपमानजनक टिप्पणी माना गया, जिसने देश की सामाजिक समरसता को आहत किया। सूरत के न्यायालय ने 2023 में उन्हें दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई, जिसके तुरंत बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाई और सदस्यता बहाल हुई, लेकिन नुकसान केवल कानूनी नहीं था- उनकी राजनीतिक साख पर भी इसका गहरा असर पड़ा। एक राष्ट्रीय नेता के लिए यह सबक बहुत सीधा था कि हर उत्तेजक और अमर्यादित वाक्य की एक बड़ी राजनीतिक कीमत होती है।

झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत

राहुल गांधी की समस्या यह नहीं है कि वे प्रश्न उठाते हैं। समस्या यह है कि कई बार वे प्रश्नों के उत्तर तथ्यों से नहीं, सनसनीखेज नारों से देना चाहते हैं। वे विरोध की राजनीति को इतना तीखा बना देते हैं कि उसका ताप अंततः उन्हीं को झुलसा देता है। विपक्ष की राजनीति में आक्रामकता स्वाभाविक है, लेकिन जब वही आक्रामकता गलत वक्तव्य, अप्रमाणित आरोप और संस्थागत टकराव में बदल जाए, तो वह साहस नहीं, राजनीतिक असावधानी कहलाती है।

'हिट एंड रन' की राजनीति का अंत

राहुल गांधी की राजनीति 'हिट एंड रन' (आरोप लगाओ, हेडलाइन बनाओ और भाग जाओ) के सिद्धांत पर टिकी है। वे मंच पर लड़ते हैं, न्यायालय में नरम पड़ते हैं और फिर अगली रैली में उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। सनातन प्रतीकों का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर झूठ परोसना और हिंदू समाज की सांस्कृतिक चेतना पर प्रहार करना- यह उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका है। परंतु जागृत भारत की न्यायपालिका और सजग जनता के सामने अब यह भ्रामक नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। बार-बार न्यायालयों की देहरी पर जाकर नाक रगड़ना और लिखित माफीनामे सौंपना यह सिद्ध करता है कि सत्य के मार्ग पर चलने का दावा करने वाले स्वयं कितने खोखले धरातल पर खड़े हैं। जब तक वे अपनी इस ढलती साख और बड़बोलेपन की राजनीति से तौबा नहीं करेंगे, तब तक भाजपा के द्वारा लगाया गया 'माफीवीर' का यह तमगा और बार-बार री-लॉन्चिंग का यह उपहास राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ●●●

प्रमाण

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि 5 आधारों पर मिलती हैं नागरिकता। इस आलेख में इसपर विस्तृत जानकारी दी गई है, तो चलिए डालते हैं इसपर एक दृष्टि।

5 आधारों पर मिलती हैं भारतीय नागरिकता

विदेश मंत्रालय ने विगत 24 जून 2026 को 14वें 'पासपोर्ट सेवा दिवस' पर एक आयोजित कार्यक्रम में बताया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का कागजात है। वहीं जुलाई 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। तो अब इस बात पर बहस छिड़ गई कि जब पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो फिर नागरिकता का क्या प्रमाण है।

गृह मंत्रालय के इंडियबन सिटीजनशिप पोर्टल पर भी साफ बताया गया है कि भारतीय नागरिकता नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। इस कानून के अनुसार नागरिकता मुख्यत: पांच आधारों पर मिल सकती है। धारा 3 के अंतर्गत जन्म से नागरिकता, धारा 4 के अंतर्गत वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता, धारा 6 के अंतर्गत देशीकरण यानी नेचुरलाईजेशन द्वारा नागरिकता और धारा 7 के अंतर्गत किसी भू-भाग के भारत में समावेशन के आधार पर नागरिकता।

सबसे आवश्यक बात यह समझनी है कि भारत में हर नागरिक के पास अलग से कोई एक जैसा 'नागरिकता प्रमाण पत्र' होना आवश्यक नहीं होता। भारत में करोड़ों लोग जन्म से भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके पास अलग से 'इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट' नहीं होता।

जिन लोगों ने बाद में भारत की नागरिकता ली है, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता मिली है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को देशीकरण यानी नेचुरलाईजेशन के जरिए नागरिकता मिली है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाईजेशन मिलता है। इसी तरह सीएए के अंतर्गत पात्र लोगों को नागरिकता मिलने पर भी सरकार की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में यही प्रमाण पत्र नागरिकता का सटिक कागजात माना जाता है। हालांकि जो लोग भारत में पैदा हुए हैं और जन्म से नागरिक हैं, उनके पास आम तौर पर ऐसा कोई अलग नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता। ऐसे लोगों की नागरिकता सिद्ध करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के कागजात, उनके नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड, स्कूल के कागजात, निवास से जुड़े रिकॉर्ड, सरकारी कागजात और आवश्यकता पड़ने पर अन्य सहायक दस्तावेज देखे जा सकते हैं। यानी जन्म से नागरिकता वाले मामलों में कोई एक दस्तावेज हर स्थिति में अंतिम प्रमाण नहीं होता बल्कि कागजातों और कानून के आधार पर पूरी स्थिति देखी जाती है।

कैंसर का पता लगा रही एआई

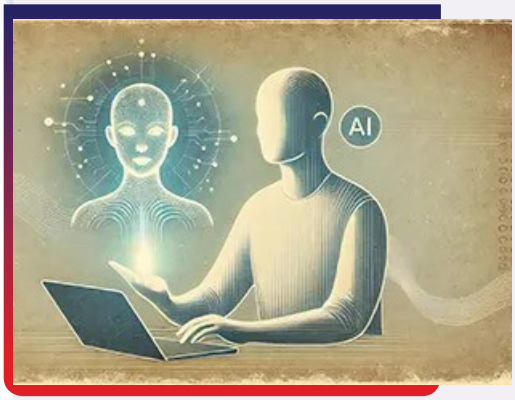

कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता लगाने में एआई तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला रही है।

स्तन कैंसर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों द्वारा किए गए मैमोग्राम के विश्लेषण से प्रारम्भिक चरण में स्तन कैंसर का पता लगाने में मानव रेडियोलॉजिस्ट के प्रदर्शन की तुलना में बेहतर परिणाम मिलते हैं।

फेफड़ों का कैंसर: गूगल अपने एआई मॉडल के माध्यम से सीटी स्कैन में फेफड़ों के कैंसर की गांठों का पता मानव डॉक्टरों की तुलना में कहीं अधिक सटीकता से लगाता है।

त्वचा कैंसर: एआई-आधारित त्वचा छवि पहचान उपकरण 95% सटीकता के साथ मेलेनोमा त्वचा कैंसर के निदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जो त्वचा विशेषज्ञों की क्षमताओं से कहीं बेहतर है।

तमिलनाडु के लिए 2030 तक 21 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य

तमिलनाडु के हथकरघा, वस्त्र, खादी और हस्तशिल्प विभाग के प्रधान सचिव टीएन वेंकटेश ने विगत दिवस तिरुप्पुर में कहा कि केंद्र सरकार ने 2030 तक तमिलनाडु से 21 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र और परिधान निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत से 2030 तक वस्त्र और परिधान के निर्यात में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा प्राप्त करने की आशा है, जिसमें तमिलनाडु का योगदान एक-पांचवां होगा और अकेले तिरुप्पुर क्लस्टर का योगदान लगभग 11.5 अरब डॉलर होगा।

हैदराबाद के नाम पर एक भृंग का नाम रखा गया

हैदराबाद: जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के वैज्ञानिकों ने भारत में जलीय भृंग की तीन नई प्रजातियों की खोज की है, जिनमें से एक का नाम हैदराबाद के नाम पर रखा गया है, जहां यह एक मौसमी तालाब में पाई गई थी। हाल ही में पहचानी गई प्रजातियां एम्फियोप्स हैदराबादी, एम्फियोप्स किन्नरसानी और एम्फियोप्स सैंडी हैं। जो आमतौर पर उथले तालाबों और आर्द्रभूमि में पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन नई प्रजातियों की खोज के बाद भारत में दर्ज एम्फियोप्स प्रजातियों की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई हैं, जो देश की जैव विविधता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का छात्रवृत्ति समारोह सम्पन्न

समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का छात्रवृत्ति प्रदान समारोह विगत दिवस रविवार 21 जून 2026 को मालाड पश्चिम, कोळी समाज हॉल में सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कमला मेहता अंध विद्यालय दादर की संचालिका वर्षाताई जाधव, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्रीकांत देसाई, साई प्रबोधन ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद शेलार, आनंदवन संस्था के ट्रस्टी नरेंद्र मेस्त्री, एड. राकेश सिंह, समाजसेवी व उद्योगपति प्रमोद वीरेंद्र याज्ञिक उपस्थित थे। आकाश दर्शन, उपक्रम प्रशंसनीय हैं। इन सभी उपक्रमों के लिए हूं। साई प्रबोधन ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद शेलार कहा कि समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्य समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं। मेरी मां स्वर्गीय मीनल शेलार की स्मृति में 50 दिव्यांग विद्यार्थियों को इस संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। मैं संस्था के कार्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। एड. राकेश सिंह ने संस्था के कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं। आनंदवन संस्था नागपुर के ट्रस्टी नरेंद्र मेस्त्री ने संस्था के कार्य की सराहना की और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर आनंद निधान संस्था के गायकवृंद ने सामूहिक गीत प्रस्तुत किए। 4 वर्ष की आयु में दृष्टिबाधित हुए चनबस अंदानीराव पाटू को जीवनगौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और सम्मान राशि मुख्य अतिथियों के हाथों देकर उन्हें सम्मानित किया गया। एसटीएस मिशन संस्था के सेक्रेटरी संजय जोशी को समर्पण सेवाश्रम के लिए किए गए योगदान के लिए मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया।

मालाड पश्चिम के रायपाडा गणेश मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं को समर्पण सेवाश्रम के लिए किए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। वेटलिफ्टिंग और जूडो खिलाड़ी दृष्टिबाधित श्रीदर्शन काम्बळे को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल मिलने पर सम्मानित किया गया। भारत की पहली दिव्यांग स्केटिंग टीम जो नेपाल में खेलकर आई, उस टीम को भी सम्मानित किया गया। उनके कोच सुशांत चौगुले ने खेल की जानकारी दी और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीतने की जानकारी दी। समापन भाषण में संस्था के अध्यक्ष रमेश सावंत ने विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन किशोर लट्टू ने किया। मुख्य अतिथियों का परिचय हरीश जालान ने कराया। सम्मान पत्र का वाचन किशोर नार्वेकर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन राजेश पाटील ने किया। भूषण पैठणकर, राघवेंद्र पाटणकर, धनंजय सावंत, मितेश शिंदे, संजय कार, छाया वैद्य, सुनील मोदी आदि ट्रस्टियों के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

पणजी में महाराणा प्रताप जयंती समारोह सम्पन्न

पणजी। विगत दिवस महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोवा की राजधानी पणजी स्थित मराठा भवन सभागार में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षाविद् डॉ. प्रदीप कुमावत मुख्य वक्ता के रुप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास, महाराणा प्रताप के अद्वितीय शौर्य और राष्ट्रभक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह की एक विशेष आकर्षण हल्दीघाटी की पावन मिट्टी एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा थी, जिसे एक विशेष कलश में गोवा लाया गया था।

TJSB SAHAKARI BANK LTD.
MULTI-STATE SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank

TJSB's Professional Loan
Made for every ambition.

NO FEE
Zero prepayment charges

EXCLUSIVE
Exclusive for doctors, CAs, lawyers and more

Fast Approvals

*T&C Apply

www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897203